UPRN120023982020

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,भोगनीपुर कानपुर देहात ।

मु०नं०-1494/2020

सरकार बनाम पिन्टू आदि ।

धारा 323,504,506 भा०द०सं०

थाना-भोगनीपुर ,कानपुर-देहात ।

आरोप

मैं , राशि तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात आप टिंकू, पिंटू व लवकुश को निम्नवत आरोपित करती हूँ ।

प्रथमतः यह कि दिनांक 07-02-2020 को समय 18.00 बजे बहद गांव के बाहर खेत ग्राम मउखास थाना भोगनीपुर ,जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत आप लोगों ने वादिनी मुकदमा श्रीमती विनीता के पति को हाथ थप्पड़ से मार पीट कर साधारण चोटें पहुंचायी । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा श्रीमती विनीता के पति को गाली गलौज करते हुए लोक शान्ति भंग करने हेतु प्रकोपित किया । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

तृतीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी मुकदमा श्रीमती विनीता के पति को जान से मारने की धमकी दिया । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है । ..

एतदद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक 05-06-2023

(राशि तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
J.O.Code-UP2540

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की ।

दिनांक 05-06-2023

(राशि तोमर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोगनीपुर, कानपुर देहात ।
J.O.Code-UP2540

Digitally signed by RASHI TOMAR
Date: 2023.06.05 20:08:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court